□□□□ □□□□□

□□□ □त्र□□□

(□□□□, **योग व प्राकृतिक चिकित्सा**, □□□□, **सिद्ध एवं होम्यो**□□)

□□□ □□□

अतारांकित प्रश्न सं. 141

21 □□, 2019 **को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

□□□ि□□ □□□□□□ा □□□त□□

141. **श्री** □ा. □□. **प्र**□□□□:

क□ □□□□, □□□ □□ **प्राकृतिक** ि□ि□त□, □□□□, **सिद्ध** □□ □□म्□□□□ (□□□) □त्री □□ □□□□□□ा □□□ □□□□ि□:

(□) क□ □□□□□ □□□□ □ ि□□□ रू□ □□□□□ □□ज□ □ आयुर्वेदिक □□□□□ा □□□त□ को निगरानी □□ ि□□ □□□ □□□□ ि□□ □, □ि□ □□ □□□ि□□ आयुर्वेदिक □□□□□ केन्द्रों □□ औषधि निमाण □□□□ा □□ □□ □;

(□) □ि□ □□;□□ □त□□□□ ब□□□ क□ □;

(□) □□□ा □□ि□□ □त□□ा, □□ स्वास्थ्य □□ि□□ □□□□□□ □ □□□□□□□ □□ □त□□□ □ा □□□ □□ि□□ □□□□□ द्□□□ क□ □□□ □□□□ □□ □;

(□) क□ □□□□□□ा □त□□ा □□विज्ञापनों को □□□□□□□ि□□ □□□ □त्र □;□□□

(□) □ि□ □□;□□ □त□□□□ ब□□□ क□ □?

<u>□त□□</u>

<u>□□□ □□ज□ □त्री (स□तंत्र प्रभार) (श्री श्रीपाद येसो नाईक)</u>

(□) □□ (□): देश म आयुर्वेदिक औषधियों के विनियामक □□□□□□त□ ि□□त्र□ तंत्र का स्थापना केंद्रीय □□ि□ □□□प्र□□□ □□□ग्री □ि□ि□□□, 1940 □□ □□ि□ □□□प्र□□□ सामग्री नियमावली, 1945 □□□□न्□ प्रावधानों के अनुसार की गई □। इस संबंध म केंद्रीय सरकार के पास कानूनी प्रावधान तैयार करने और उनम संशोधन करने तथा केंद्रीय अधिनियम के □द्देश□ा का प्राप्ति □□□□ज□ सरकारों को निदेश देने की शक्ति□□ निहित ह तथा राज्य □□□□□ □□ि□□ □□□ा के विनिमाण और गुणवत्ता के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू □□□□□□त□दायी ह। आयुर्वेदिक औषधों के लाइसेंस प्राप्त विनिमाण हेतु गुणवत्ता □□□□ा □□□□□□□ □□ □क्षा एवं प्रभावकारिता के प्रमाण □ा □□श□□□□□औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 □ □ा □□ ह तथा इन औषधों □□□□□□ □□ि□□ □□□ि□□ओं म प्रकाशित किए जाते ह□ □□□ प्र□□, □□ □ □□ □□□ □ □□ □□□□ □□ ि□ि□त□भ□□□ भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 □□प्र□□□ा □□ तहत विनियमित ि□□ □□□ □□

□□□ □□□□□ □□अनुज्ञापन प्राधिकारियों, □□□ निरीक्षकों, सरकारी विश्ले□□ों की नियुक्ति □□ □□□ परीक्षण प्रयोगशालाओं सहित आयुर्वेदिक औषधियों के विनिर्माण और बिक्री □□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ की सूचना दी है। विनिर्माण इकाइयों का निरीक्षण □□□ निरीक्षकों द्वारा किया जाता है, □□□ों के नमूनों की जांच प्रयोगशालाओं में की जाती है और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 □□□ □□□ □□□□□□रिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 तथा नियमावली, 1955 □□ प्र□□□□ों □□□□□घन के विरुद्ध कानूनी कारवाई की जाती है। राष्ट्रीय आयुष मिशन की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम □□□□□ □□□□□□□ □□□□ प्र□□ □□□□□□□ □□ज□ □□प्र□□□ों □□ □□□□ □□□ □□□ □□

(□): □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ भेषजसंहिता आयोग और आयुर्वेदिक भेषजसंहिता समिति की स□□□□ □□ □□ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के अंतर्गत आदर्श विनिर्माण अभ्यास निर्धारित किए गए हैं तथा आयुर्वेदिक भेषजसंहिता तथा फार्मूलरी प्रकाशित की जाती है जिनमें मानकीकृत औषधयोग तथा गुणवत्ता□क□ मानक दिए होते हैं □□ आयुर्वेदिक औषधियों के विनिर्माण तथा □□□□□ हेतु अनिवार्य □□□□□ घटिया ब्रांडवाली, □□□, □□□□□ □□□□ □□□□□□ आयुर्वेदिक औषधियों को, □□ □□□□ स्□□स्थ्य □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □, उन्हें □□□□□ प्रावधानों के साथ औषधि एवं प्रसाधन □□□ग्री अधिनियम में परिभाषित किया गया है। आयुर्वेदिक □□□□ों □□ □□□त□ परीक्षण हेतु एक केंद्रीय प्रयोगशाला और 27 □□ज□ प्रयोगशालाएं स्था□□ □□ □□ □ □□□ 58 प्रयोगशालाओं को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के प्रावधानों के तहत लाइसेंस □□□ □□□ □□

(□) □□ (□.): □□□□□ □□ □न□ □□□□□ □त□दों के भ्रामक विज्ञापनों और अतिरंजित दावों की सत्य□□ की जांच के लिए केंद्रीय सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i) □□□□□ □□□□□ □त□दों सहित भ्रामक विज्ञापनों और अतिरंजित दावों की रोकथाम के लिए विनियामक तंत्र औषधि और चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 □□ □□□□□□□ □□□□ □□ नियमावली में निर्धारित है। तदनुसार, □□ज□ सरकारों को सशक्त □□□□ □□□ □□□□ □क□ अधिनियम के किसी प्रावधान के उल्लंघन पर किसी भी परिसर में प्रवेश करने □□ □□□□ □□□-बीन करने या किसी भी रिकार्ड की जांच अथवा उसे जब्त □□□□□□□□□□□□त्रि□ अधिकारियों की नियुक्ति की □□ □□

ii) □□□ रूप से आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधियों के भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम हेतु हाल □ी में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के तहत नियम 170 को अधिसूचित किया □□□ □□

iii) □□□□क□ □□□□□□□□□ □□□□□ □त□दों के विज्ञापनों सहित भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध □□□□□□ शिकायतों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है। आयुर्वेदिक उत्पा□ों □□ विज्ञापनों के विरुद्ध □□ पोर्टल में पंजीकृत शिकायतों □□ कानूनी प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त □□□□ई के लिए संबंधित राज्य □□ज्ञ□□ प्र□□□□□ों □□ □□ □□□ □□□ □□

iv) प्रिंट और टीवी मीडिया में प्रदर्शित होने वाले आयुष के भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी करने और □□□□क□ विज्ञापनों के मामलों पर आवश्यक कारवाई करने के लिए राज्य विनियामक प्राधिकारियों □□ □□□ □□□□□□□□□ □त्र□□□ □□भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) के साथ □□ □□□□□ ज्ञ□□ □□ □स□क्षर किए हैं।

v) आयुष मंत्रालय ने भेषज सतर्कता की एक केंद्रीय स्कीम कार्यान्वित की □□□□□□□□□□□□ □□□ औषधों संबंधी विज्ञापनों की निगरानी चयनित केंद्रों द्वारा □ी □□□ □□□□ □□□□ों □ी □□□□ संबंधित राज्य प्राधिकारियों □□ □ी □□□ □□

*****